"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 154] रायपुर, सोमवार, दिनांक 15 अप्रैल 2013—चैत्र 25, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक 3026/डी. 107/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 08-04-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 9 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता), अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

नवीन धारा 1 (क) का अन्तःस्थापन. 2. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 1 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित की जाये, अर्थात् :—

"1-क **परिभाषायें.**— इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची."

धारा 2 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 2 में शब्द "सात हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 3 का संशोधन. 4. (एक) मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (2) में शब्द "आठ हजार रुपये प्रतिमास" के स्थान पर शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) में शब्द "को एक हजार एक सौ दस रुपये" तथा "एक हजार नब्बे रुपये प्रतिदिन" को विलोपित करते हुए शब्द "अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को," के पश्चात् शब्द "अनुसूची में विनिर्दिष्ट" अन्तःस्थापित किया जाये.

अनुसूची का अन्तःस्थापन. 5. मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची जोड़ा जाये, अर्थात् :—

अनुसूची
[धारा 1-क (क) देखें]

अध्यक्ष

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 2	अध्यक्ष का वेतन	रुपये 28,000 प्रतिमास
धारा 3 (2)	अध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमास
धारा 3 (3)	अध्यक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन

उपाध्यक्ष

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 2	उपाध्यक्ष का वेतन	रुपये 25,000 प्रतिमास
धारा 3 (2)	उपाध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 27,000 प्रतिमास
धारा 3 (3)	उपाध्यक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 1,200 प्रतिदिन

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2013

क्रमांक 3026/डी. 107/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 9 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 9 of 2013)

THE CHHATTISGARH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA, (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta), Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-Fourth Year of the Re-public of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2013. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. After Section 1 of the Chhattisgarh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be inserted, namely :— **Insertion of Section 1-A.**

"1-A. **Definitions.**- In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Schedule" means a Schedule appended to this Act."

3. In Section 2 of the Principal Act, for the words "of Seven Thousand rupees per mensem" the words "as specified in the Schedule" shall be substituted. **Amendment of Section 2.**

Amendment of Section 3.

4. (1) In sub-section (2) of Section 3 of the Principal Act, for the words "of Eight Thousand rupees per mensem" the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

(2) In sub-section (3) of Section 3 of the Principal Act, for the words "of One Thousand One Hundred Ten rupees per day to the Speaker and One Thousand Ninty rupees per day to the Deputy Speaker" the words "as specified in the Schedule" shall be substituted.

Insertion of Schedule.

5. After Section 11 of the Principal Act, the following Schedule shall be added, namely :—

"SCHEDULE
[See Section 1-A (a)]

SPEAKER

Section (1)	Pay/Allowance Particular (2)	Amount (3)
Section 2	Salary of Speaker	Rupees 28,000 per mensem
Section 3 (2)	Constituency allowance to the Speaker.	Rupees 27,000 per mensem
Section 3 (3)	Daily allowance to the Speaker	Rupees 1,200 per day

DEPUTY SPEAKER

Section (1)	Pay/Allowance (2)	Amount (3)
Section 2	Salary of Deputy Speaker	Rupees 25,000 per mensem
Section 3 (2)	Constituency allowance to the Deputy Speaker.	Rupees 27,000 per mensem
Section 3 (3)	Daily allowance to the Deputy Speaker	Rupees 1,200 per day."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणा[redacted]ांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.